प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.05.2021 जनपद देवरिया।

लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए शॉपिंग मॉल खोलने पर क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा बड़ी कार्यवाही, शॉपिंग मॉल को सीज करते हुए पंजीकृत कराया गया अभियोग।

आज दिनांक 24.05.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री श्रीयश त्रिपाठी पुलिस फोर्स प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व मजिस्ट्रेट नायब तहसिलदार के साथ आंशिक लॉकडाउन का पालन कराये जाने हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए हनुमान मन्दिर रोड से गुजर रहे थे कि वी–मार्ट शॉपिंग मॉल के पास काफी दो पहिया वाहन देखा गया तथा शॉपिंग मॉल का शटर गिरा हुआ था। क्षेत्राधिकारी व नायब तहसिलदार द्वारा जा कर देखा गया तो शटर नीचे से थोड़ा खुला हुआ था, जिसपर शटर को ऊपर करके देखा गया तो अन्दर काफी संख्या में लोगों की भीड़ थी तथा वी–मार्ट शॉपिंग मॉल के कर्मचारी उपस्थित थे। जिन्हें लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के संबन्ध में अवगत कराते हुए नायब तहसिलदार मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वी–मार्ट शॉपिंग मॉल को सीज करते हुए सर्व मोहर किया गया तथा कस्टोडीयन नायब तहसिलदार सदर द्वारा लिया गया। वी–मार्ट के कर्मचारियों के विरूद्ध लॉकडाउन के उल्लंघन के संबन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।